


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/उपजिअ-शाशि/डीपीसी18-19/पदस्थापन/2019

दिनांक: 27.05.2019

क्र.सं.	वर्ष	अवधि	नाम कर्मिक	वर्ग	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन	जिला	पदोन्नति पर पदस्थापन	जिला	
1	29	0	85-86	दशना गांधी		F	14-01-1960	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAWANI	KOTA	Office of Joint Director, School Education, Kota Range, Kota	KOTA
2	9	0	86-87	पद्मापुरी गोस्वामी		F	25-01-1962	GOVERNMENT GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BAPUNAGAR BHILWARA	BHILWARA	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Bhilwara	BHILWARA
3	16	0	84-85	सुनन शर्मा		F	01-02-1962	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEOLI ARAB	KOTA	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Baran	BARAN
4	27	0	85-86	सुनन हाडी		F	17-12-1960	GOVT. GIRLS MAHR.SR. SEC.SCH.BANIPARK	JAIPUR	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, TONK	TONK
5	13	0	87-88	नंजू गोयल		F	17-09-1962	GOVT. SR.SEC.SCHOOL SEWAR	BHARATPUR	Office of Joint Director, School Education, Bharatpur Range, Bharatpur	BHARATPUR
6	30	0	85-86	नूपेन्द्र सिंह		M	05-07-1960	GOVT ADARSH SR SEC SCHOOL, RARAH	BHARATPUR	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Bharatpur	BHARATPUR
7	16	0	92-93	राम गोपाल	SC	M	30-06-1963	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL SHAHPURA	BHILWARA	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Chittorgarh	CHITTORGARH
8	18	3	92-93	मनाहर लाल बलाई	SC	M	01-07-1963	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL YASHWAN, BLOCK UMRAN,	ALWAR	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Alwar	Alwar



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एच.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के अनुरूप ग्रुप जी में संवर्गित उप जिला शिक्षा अधिकारी-शा0शि0 एवं समकक्ष पद पर (ग्रुप-जी) पे-बेण्ड 15600-39100 पी बी-3 ग्रेड पे 5400 में वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशांक:- शिविरा/मा/संस्था/बी-1/डीपीसी/उपजिअ(शाशि)/18-19/19 दिनांक 24.05.18 द्वारा चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के संलग्न सूची के अधिकारियों को इनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष के द्वारा, चयनोपरांत काउन्सीलिंग के माध्यम से सहमति पत्र के आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मि जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता एवं विभागीय जांच (सीसीए नियम 16 व 17 में) बकाया नहीं होने का मिलान कर पुष्टि करेंगे, तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक का वरिष्ठता वर्ष वर्तमान कार्यरत मण्डल का ही हो, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल [ad.esttab.dse@rajasthan.gov.in](mailto:ad.esttab.dse@rajasthan.gov.in) पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित अधिकारी नियत दिनांक: 04.06.2019 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल सूचित करेंगे।

क.स. 4 एवं 7 को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।  
संलग्न सूची के अनुसार (क.सं. 1 से 8 तक)



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक

शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/उपजिअ शाशि/डीपीसी पदस्थापन-18-19/2019 दिनांक:-27-05-2019  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-  
27

01. प्रमुख शासन सचिव-स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान-सरकार, जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. समस्त संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा।
05. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक।
07. संबंधित संस्था प्रधान।
08. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
09. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक-कार्मिक